SHODHSAMHITA
शोधसंहिता

ISSN 2277-7067
UGC CARE Group 1

ग्रामीण विकास मे पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका
(जयपुर के विशेष संदर्भ में)

खुशबू गोस्वामी

शोधार्थी

प्रो.(डॉ०) सपना गहलोत

शोध निर्देशिका, ज्योति विघापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

शोध सारांश

भारत गांवों का देश है। आधी से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही बसती है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है, कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। भारतीय प्राचीन इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करने पर पता चलता है, कि शासन व्यवस्था में पंचायतों की अवधारणा कोई नई नहीं है। मौर्य काल से लेकर पंच परमेश्वर का वर्णन यह सिद्ध करता है, कि पंचायतों ने ग्रामीण शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभायी है। भारतीय के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में सभा और समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी संस्थाओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में ग्रामणी शब्द के साथ ही रामायण और महाभारत महाकाव्यों में शासन व्यवस्था की छोटी इकाई गांव ही थे। मनुस्मृति में गांवों में स्वशासन का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से भारतीय व्यवस्था में पंचायती राज नई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन को देखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिये अनेक समितियों की सिफारिशों में यह स्वीकार किया गया कि ग्रामीण विकास के लिये स्थानीय स्तर की शासन व्यवस्था आवश्यक है। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। धीरे-धीरे यह व्यवस्था पूरे देश में लागू की गयी है, लेकिन यह व्यवस्था धन के अभाव में सफल नहीं हो पायी। इसके बाद 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुये संविधान में 73 वां संशोधन कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार से महात्मा गाधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करते हुये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गयी। पंचायती राज संस्थानों के कारण ग्रामीण विकास की पटकथा स्थानीय स्तर पर लिखी जा रही है। इन संस्थाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिये कानूनी अधिकार भी दिये गये है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, कि त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नये पंख लगे है। प्रस्तुत अध्ययन के दौरान जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस कर यह पता लगाने का प्रयास किया है, कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का किस प्रकार से और कितना विकास संभव हो पाया है।

संकेताक्षर- क्रांतिकारी, रामायण, महाभारत महाकाव्य, ग्रामिणी, ग्राम स्वराज, अवधारणा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आदि

प्रस्तावना

प्राचीन काल से चली आ रही पंचायत व्यवस्था भारत के लिये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आजादी के बाद 1993 में संविधान में संशोधन कर संवैधानिक दर्जा प्रदान करना पंचायती राज व्यवस्था के लिये मील का पत्थर था। इस संसोधन के जरिये यह परिकल्पना की थी, कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये,ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन के लिये स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था लागू की जाने चाहिये। जिसकी कमान स्थानीय स्तर के लोगों के पास रहे। इसी उद्देश्य से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू की गयी। जिसमें ग्रामीण विकास के लिये तीन स्तरों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जिसमें

1-ग्राम पंचाय़त

2-जनपद पंचायत

3-और जिला पंचायत

आजादी के बाद से ही सत्ता के विक्रेंदीकरण की अवधारणा को लागू करने की मांग की जा रही है। 1959 में बलवंत राय कमेटी की सिफारिशों में भी इसका जिक्र किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में की प्रकार की समस्यायें मौजूद है। इन समस्याओं में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अंधविश्वास जैसे समस्यायें विद्यमान था। ऐसे दौर में पंचायती राज का उद्देश्य गांवों को स्वालंबी बनाना था। दूसरी सबसे हड़ी समस्या यह थी कि ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों का हिसाब-किताब प्रदेश की राजधानी या देश की राजधानी में बैठकर नहीं लगाया जा सकता था,इसलिये ग्रामीण स्तर पर उनकी जरूरतो तो पूरा करने के लिये स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिये भी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गयी थी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कई प्रकार की योजनाओं को पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही संचालित किया जा रहा है। अब योजनाओं की जानकारी के साथ ही उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थानों को सौपी गयी। इन योजनाओं में महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना भी शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों के जागरूकता स्तर पर वृद्धि होने के साथ ही ग्रामीण स्तर के विकास के नये द्वार खुले है। ग्रामीण क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे है।

संदर्भित साहित्य का अध्ययन

एकता चौधरी (2018) ने ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिकाः उत्तरप्रदेश के वाराणसी जिले के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन विषय पर शोध कार्य किया। उन्होने शोध के सारांश में लिखा है कि आधुनिक विश्व में भारत एक नवोदित, महानतम एवं विकासशील राष्ट्र है। भारत में राजनीति मुख्यतः राष्ट्र निर्माण और देश की एकता को बनाये रखने की राजनीति है। लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण में निहित है। लोकतंत्र का आधार शासन में जनसहभागिता के साथ ही शासन का निम्न स्तर तक विकेन्द्रीकरण है। उसी भावना का साकार रूप पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायतों का मूल उद्देश्य ग्रामीण विकास के प्रयासों और जनता के बीच तार

तम्यता स्थापित करना है। अतः ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्क ृतिक सभी स्तरों पर विकास है। पंचायती राज व्यवस्था इस दिशा में साकार भूमिका निभा रही है। पंचायतों को सौंपे गये कार्य ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

केदार कुमार और डॉ अश्विनी महाजन (2021) ने ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका विषय पर शोध कार्य किया। यह शोध कार्य छत्तीसगढ़ के राजनांदगाँव जिले के तीन जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में किया गया है। शोध में सचिव, सरपंच, उपसरपंच एवं पंचों पारिवारिक, सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक समस्याओं, सरकार से प्राप्त होने वाले सुविधाओं एवं पंचायतों एवं प्रशासन के मध्य भूमिकाओं का किया गया है। संभावित निदर्शन विधि के प्रयोग से पायलेटिंग सर्वे के द्वारा 25-25 उत्तरदाताओं का चयन कर साक्षात्कार व अवलोकन विधि तथा द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया। राजनांदगाँव जिले के तीन तहसील खैरागढ़, छुईखदान व डोंगरगढ़ का चयन किया गया। जिसमें पंचायत के कार्यों में आने वाले समस्याओं के अन्तर्गत्-वित्तीय समस्या, शासकीय योजनाओं के संचालन में जनता की राय, विरोध-समर्थन न मिलना, स्वास्थ्यगत् समस्याएँ के बारे में उत्तरदाताओं से उनके विचार जानने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से प्राप्त ऑकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था

तालिका क्रमांक-01

प्रदेश की जिला परिषद	33
प्रदेश की पंचायत समितियां	352
प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या	11341
जिला प्रमुखों की संख्या	33
जिला परिषद के सदस्यों की कुल संख्या	1014
प्रदेश में संरपंचों की संख्या	11,320
पंचायत समितियों के सदस्यों की कुल संख्या	6236
प्रदेश में कुल सरपंचों की संख्या	11,320

Source- https://rajasthan.gov.in/

राजस्थान में ग्रामीण विकास के लिये बजट आवंटन

तालिका क्रमांक-02

वर्ष	बजट आवंटन
2018-19	6.5 फीसदी (कुल बजट का)
2019-20	6.6 फीसदी(कुल बजट का।
2020-21	6.8 फीसदी
2021-22	5.4 फीसदी

Source- https://rajasthan.gov.in/

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछले तीन सालों से राजस्थान में कुल बजट का ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये आवंटन बजट राष्ट्रीय औसत से अधिक था,लेकिन चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में बजट में कटौती की गयी है। जिससे चलते प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्रभावित होगा।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित किये गये है।

1-ग्रामीण क्षेत्रों के पिछले सालों में हुये विकास कार्यों का अध्ययन करना।

2-ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उपलब्ध कराये गये बजट का अध्ययन करना।

3-राज्य सरकार और केद्र सरकार की योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन विवरणात्मक शोध प्रविधि से किया गया है। अध्ययन के लिये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ग्रामीणों क्षेत्रों के बजट, पंचायती राज संस्थाओं के आर्थिक संसाधनों और उनके बजट के ऑकड़ों का उपयोग शोध के लिये द्रितीयक ऑकड़ों के रूप में उपयोग किया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्रितीयक ऑकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष तक पहुंचा गया है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन के लिये राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले को प्रशासकीय इकाई के रूप में चयनित किया गया है। जयपुर राजस्थान का ऐतिहासिक,सांस्कृतिक और प्रमुख पर्यटन केद्र के रूप में अलग पहचान है। इस जिले में 13 तहसील और उप तहसील हैं। जिनके नाम जयपुर, चोमू, आमेर, सांगानेर, शाहपुरा, बस्सी, चाकसू, मोजमाबाद, जामवा रामगढ़, फागी, फुलेरा, कोटपुतली, विराटनगर हैं। साथ ही यहां 13 पंचायत समितियां और 2369 गांव हैं।

जयपुर जिले में 2019 में हुये परिसीमन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 585 हो गयी है। इसके पहले जयपुर जिले में पंचायतों की संख्या 532 थी। इसी प्रकार से पंचायत समितियों की संख्या 2019 के बाद 21 हो गयी है। इसके पहले पंचायत समितियों की संख्या 15 थी।

जयपुर समेत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाली योजनाये

जयपुर समेत राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के तहत निम्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जो इस प्रकार से है।

1-स्वरोजगार द्वारा गरीबी उन्मूलन योजना

इस योजना के अंतर्गत 1-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और 2-राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण परियोजना का सचांलन किया जा रहा है।

2-रोजगार सृजन द्वारा गरीबी निवारण

इस योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का संचालन किया जा रहा है।

3-क्षेत्रीय विकास द्वारा गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन निवारण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष क्षेत्र के विकास की कार्ययोजना तैयार करने के लिये निम्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है,जो इस प्रकार से है।

- 3.1-सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- 3.2-डॉग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

- 3.3-मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- 3.4-मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

4-ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना कार्य

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो योजनायें संचालित की जा रही है,वे इस प्रकार से है।

- संसद सदस्य स्तानीय क्षेत्र विकास योजना
- सासंद आदर्श ग्राम योजना
- श्यामा प्रसार मुखर्जी रूर्बन मिश्न
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

5-मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचाय़त योजना

इस योजना के तहत अलग-अलग योजनायें संचालित की जा रही है,जो इस प्रकार से है।

- श्री योजना
- स्मार्ट विलेज
- महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना
- मुख्यमंत्री नवाचार निधि योजना
- स्व-विवेक जिला विकास योजना

6-गरीब-शोषित वर्ग के कल्याण के लिये

इस कार्यक्रम के तहत प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण का संचालन किया जा रहा है।

7-अन्य योजनायें

- डीआरडीए प्रशासन योजना
- बायोफ्यूल प्राधिकरण,राजस्थान

इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये केंद्र सरकार,राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

विश्लेषण

1-वैसे को पूरे राजस्थान की 121 हजार पंचायतों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। जिसमें जयपुर जिला भी शामिल है। आर्थिक संकट के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की रफ्तार धीमी पड़ गयी है।

2-प्रदेश की पंचायतों को 5600 करोड़ रूपयों का बजट जारी किया जाना था। बजट जारी न होने से पंचायतें आर्थिक संकट में है। पंचायतों में कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ रहा है।

3-हाल ही में राज्य सरकार ने छठें वित्त आयोग की चार किश्तों में से एक किश्त जारी की है,लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये यह राशि काफी कम है।

4-राज्य सरकार की ओर से हर साल पंचायतों को 1350 करोड़ रूपये दिये जाते है। जयपुर जिले को 280 करोड़ रूपये प्रति वर्ष मिलते है। पिछले दो सालों से पैसा न मिलने से जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्य प्रभावित हो रहे है।

5-राज्य और केद्र सरकार की योजनाओं का 75 फीसदी पैसा सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में,20 फीसदी पंचायत समिति के जरिये और 5 फीसदी पैसा जिला परिषद के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जाता है।

6-हर पंचायत को 40 लाख से 1 करोड़ रूपये तक हर वर्ष मिलता है। जयपुर जिले का ग्रामीण क्षेत्र राजधानी क्षेत्र का होने के कारण यह राशि विकास की दृष्टिकोण से होती है।

7-राजस्थान सरकार ने 2021022 के लिये राजस्थान के ग्रामीण विकास के लिये अपने कुल बजट का 5.4 फीसदी आंवटन किया है। हालांकि इस वर्ष ग्रामीण विकास के लिये राज्य सरकार ने राशि का प्रावधान कम किया है। देश के अन्य राज्यों में औसत रूप से ग्रामीण विकास के लिये कुल बजट का 6.1 फीसदी बजट आवंटन किया जाता है। राजस्थान में यह औसत अन्य राज्यों से बजट आवंटन कम है। बजट कम होने से ग्रामीण विकास प्रभावित होगा।

8-ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये सांसदों ने वर्ष 2021-22 में 7423.77 लाख रूपये से 1341 कार्य पूरे कराये है। इन कार्यों में जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 560 लाख रूपयों से 278 कार्यों का पूरा किया गया है।

9-सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2021 में 5824.83 लाख रूपये के व्यय से 394 कार्य पूर्ण किये गये हैय़

10-विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये 2021 में 21842.49 लाख रूपये से 5144 कार्य पूर्ण किये गये है। जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2021 में 789रूपये खर्च किये गये है।

11-महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गांरटी योजना में वर्ष 2021 में 9796.04 करोड़ रूपये खर्च किये गये है। इस राशि से 4605.37 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है।

12-2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.97,148 लक्ष्यों के विरूद्ध 2,02,522 आवास स्वीकृत किये गये है। इनमें से 1,48,273 आवास पूर्ण करवा लिये गये गये है। जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में 4000 से ज्यादा आवास स्वीकृत किये गये है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों,उनके बजट और योजनाओं के क्रियान्वयन का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष के तौर पर यह जहा जा सकता है कि ज्यादात्तर योजनायें केद्र सरकार और राज्य सरकार प्रवर्तित योजनायें है। पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य था कि स्थानीय स्तर पर विकास की योजनायें तैयार की जायें,लेकिन स्थानीय स्तर पर बजट का अभाव होने से स्थानीय स्तर की योजनायें संचालित नहीं हो पा रही है। इस प्रकार से निष्कर्ष के तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि सांसद निधि, विधायक विधि, केंद्र प्रवर्तित योजनायें और राज्य सरकार प्रवर्तित योजनाओं पर ही ग्रामीण विकास की आधार शिला रखी जा रही है। स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधायें जुटाने के लिये बजट की कमी होने से बुनियादी व्यवस्थायें ग्रामीण स्तर पर नहीं हो पा रही है।

सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन के बाद ग्रामीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका के बारे में निम्न सुझाव है-

1-पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकारों को कदम उठाने चाहिये।

2-ग्रामीण विकास विधायक निधि,सासंद निधि पर निर्भर होता है,ऐसे में समग्र विकास नहीं हो पाता है।

3-ग्राम पंचायतें ग्राम सभा में अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिये योजना तैयार करें फिर सासंद,विधायक निधि से कार्य कराये। अभी जो सासंद या विधायक अपनी निधि से पैसा देता है,उसके अनुसार ही कार्य किये जाते है। ऐसे में पंचायतो के आस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाता है।

4-केद्र और राज्य सरकार दोनों को पंचायतों को एक निश्चित राशि हर वर्ष देना चाहिये,हालांकि राज्य सरकार पंचायतों को बजट देती है,लेकिन वह इतना कम है कि वेतन,भत्तों में ही खर्च हो जाता है। जिस कारण से विकास कार्य प्रभावित होते है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची –

1-सिसोदिया, यतेन्द्र सिंह, पंचायती राज और अनुसूचित जनजाति, महिला नेतृत्व, 2000.
2-सिंह, एस.के. पंचायती राज फाइनेन्स इन मध्यप्रदेश, नई दिल्ली, 2004.
3-तोमर, संजय, ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत, डॉ बी. आर. अम्बेडकर विष्वविद्यालय, आगरा, 2017.
4-अग्रवाल, प्रमोद कुमार, भारत में पंचायती राज, ज्ञान गंगा प्रकाषन, दिल्ली, 2003.
5-द्विवेदी, राधेश्याम, मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ प्रकाशन, भोपाल, 2005.
6-मिश्रा, पी. एल., द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, विश्व भारती प्रकाशन, नागपुर, 1982.